

राजस्थान सरकार

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक-संस्था/चि0अ0/एटी/प01/2008/173

दिनांक- 26/09/08

—: आदेश :—

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की सिफारिश पर वर्ष 2008 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान 8000-275-13500 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ7(2)डीओपी/ए-11/2005 दिनांक 20/01/06 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 7950/- प्रतिमाह की दर पर अस्थाई रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर किया जाता है:-

क्रम सं०	नाम चिकित्सा अधिकारी व पता	मेरिट सं.	जन्मतिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डा. विनोद गोयल प्लॉट नं. 1122, किसान मार्ग, बरकत नगर, जयपुर (राज.) 15	13	11-08-71	Gen-M	प्रा0स्वा0केन्द्र पावटा (दौसा)
2.	डा. संदीप तनेजा चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्रा. स्वा. केन्द्र, जाखडी, तहसील रानीवाडा, जिला जालौर	29	24-07-72	Gen-M	प्रा0स्वा0केन्द्र धनूर (श्रीगंगानगर)
3.	डा. अरविन्द काला, पुत्र श्री ए.आर. काला, सैनिक कॉलोनी, हाऊस नं. 161/162, नागौर - 341001	83	17-04-76	Gen-M	प्रा0स्वा0केन्द्र झाडोली (नागौर)
4.	डा. अनामिका पुरोहित, पुत्री डा0 नटवर एस. पुरोहित, मरूधरा प्रिन्टर्स, कालोन की गली, बिसोन का चौक, कबूतरों का चौक, जोधपुर-342001	140	30-01-80	Gen-F	सामु0स्वा0केन्द्र बिशाला (बाडमेर)
5.	डा0 नन्दाराम राम सिरवी, पुत्र श्री पेमाराम, बेडा हेमसागर, गांव. कन्टालिया, जिला पाली (राज0)-306106	154	06-10-76	OBC-M	प्रा0स्वा0केन्द्र चाणोद (पाली)
6.	डा. मोहम्मद जुबेर, पुत्र श्री मोहम्मद इब्राहीम, द्वारा एस. एल. शर्मा, 36-बी, श्रीनाथ मन्दिर के पास, कुन्दन नगर, अजमेर - 305001	186	01-06-81	OBC-M	प्रा0स्वा0केन्द्र देवगढ (प्रतापगढ)
7.	डा. अकरम मोहम्मद, पुत्र श्री बाबूदीन द्वारा डा. सबीर अली, प्लॉट नं. 48, एल. आई.जी.एच. स्कीम नं. 1, शान्ति प्रिया नगर, जोधपुर	192	13-07-82	OBC-M	प्रा0स्वा0केन्द्र भिंडे का पार (बाडमेर)
8.	डा. जाहन्वी मीणा, पुत्री श्री रामसहाय मीणा, ए-916, सिद्धार्थ नगर, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-302017	231	19-07-82	ST-F	प्रा0स्वा0केन्द्र बागोर (भीलवाडा)
9.	डा. मोनिका वर्मा, बी-16, मुरारिया भवन, बजाज नगर, जयपुर - 302015	238	18-03-81	SC-F	प्रा0स्वा0केन्द्र भैंसरोडगढ (चित्तौडगढ)

परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही

✓

पद की वेतन शृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। अंशदायी पेंशन योजना परीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (संशोधन) नियम, 2000 के नियम 22-क के तहत इन्हें चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करने के तुरंत पश्चात 3 वर्ष की कालावधि के लिये ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करनी अनिवार्य होगी।

उपरोक्त चिकित्सकों की जन्म तारीख उनके सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।

उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्वधीन है। दिनांक 01/06/02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान वाले अस्थायी नियुक्ति के लिये पत्र नहीं होंगे।

इन्हें आदेश प्रसारित होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर-भीतर तक कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यभार न संभालने की दशा में उनके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे।

उपरोक्त चिकित्सकों को प्रथमतः अपनी उम्रस्थिति संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी है, सीधे ही पदस्थापन के स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करना है।

जो चिकित्सक पूर्व में तदर्थ/समेकित वेतन पर कार्यरत हैं वे अपना चार्ज संभलाकर कार्यमुक्त होकर ही नवीन स्थान पर कार्यग्रहण करेंगे।

इन्हें पद ग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुदेय नहीं है।

निदेशक (जन स्वा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2) निजी सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 3) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 4) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 5) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
- 6) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
- 7) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
- 8) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित को भेजकर लेख है कि अस्थायियों के कार्यग्रहण के समय संतानों के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादि शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर मूल ही अस्थायी के कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने के समय अनिवार्य रूप से साथ में भिजवावे एवं छाया प्रति आपके कार्यालय हेतु रख लें।
- 9) संबंधित चिकित्सक को उनके घर के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
- 10) संबंधित डीलिंग असिस्टेंट को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त मूल आवेदन पत्र मय संलग्न दरतावेजों के, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त मूल चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रोल आदि सहित।
- 11) आदेश पत्रावली / निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।